



भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research



1-10-153-156, बेगमपेट/Begumpet
हैदराबाद/Hyderabad-500 016

संख्या No.AMD/175/HIMS/2019-ADM-II /1150

दिसंबर December 11, 2020.

परिपत्र CIRCULAR

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (नाईस) द्वारा सीएचएसएस के तहत लाभार्थियों को दवाओं की आपूर्ति के लिए मेसर्स कीर्ति मेडिकल्स को आउटसोर्स किया गया है, पखनि के कई लाभार्थी दूरी के कारण इस सुविधा का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। इससे, पखनि के कर्मचारी निजी फार्मेशियों से दवाइयां खरीदकर और प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं।

Though NFC has outsourced supply of medicines to beneficiaries under CHSS to M/s. Keerthi Medicals, many of the beneficiaries of AMD are not able to avail of the facility owing to distance factor. At the same time, employees of AMD are compelled to buy the medicines from private pharmacies and seek reimbursement.

पखनि के कर्मचारियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। In order to overcome the inconvenience being meted out to the employees of AMD, the following modalities are going to be adopted:

1. सभी कर्मचारी और / या उनके लाभार्थी जो विभागीय चिकित्सा अधिकारी या अधिकृत चिकित्सा परिचारकों से चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ पास बुक सीएचएसएस अनुभाग, पखनि को प्रस्तुत करना होगा ताकि अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली द्वारा ऑनलाइन पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) तैयार किया जा सके और ऑनलाइन द्वारा मेसर्स कीर्ति मेडिकल्स को अग्रेषित किया जा सके। तदनुसार, पखनि के सीएचएसएस लाभार्थियों को निजी फार्मेशियों से दवा खरीदने की प्रक्रिया को सीमित किया जाएगा।

All the employees and/or their beneficiaries who obtain treatment from Departmental Medical Officer or Authorized Medical Attendants have to submit the Health Pass Book containing the prescriptions to CHSS section, AMD in order to prepare an online prescription through Hospital Information Management System and forward to M/s Keerthi Medicals through online. Accordingly, CHSS beneficiaries of AMD are discouraged from buying medicines from private pharmacies.

2. मेसर्स कीर्ति मेडिकल्स, नाईस की फार्मासिस्ट द्वारा विधिवत सत्यापित दवाओं को जारी करेंगे और 1300 बजे तक प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन के दवाईयों को 1600 बजे तक अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पखनि को भेजेंगे। 1300 बजे के बाद प्राप्त प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां आपूर्ति अगले दिन की जाएगी।

M/s. Keerthi Medicals will issue the medicines duly verified by Pharmacist of NFC and send to AMD through their representative by 1600 hrs for the prescriptions received upto 1300 hrs. Medicines for the prescriptions received after 1300 hrs will be supplied on the following day.

3. पखनि का सीएचएसएस अनुभाग संबंधित कर्मचारी को कॉल करेगा और रसीद पर हस्ताक्षर लेकर दवाएं वितरित करेगा।
CHSS section of AMD will take the responsibility of calling the employee concerned to the section and deliver the medicines by obtaining signature on the receipt.
4. कर्मचारी और उनके लाभार्थी जो अपने प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां जोनल अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे भी संबंधित अस्पताल द्वारा जारी गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
Employees and their beneficiaries who could not obtain medicines in Zonal Hospital and Super Specialty Hospital against their prescriptions can also avail of the said facility by producing non-availability certificate issued by the Hospital concerned.
5. उपरोक्त सुविधा पखनि के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है और अतः वे इस सुविधा का लाभ लेकर सरकारी राजकोष पर भार कम कर सकते हैं।
The above facility is available to retired employees of AMD as well and hence they may accord importance in terms of economy to the exchequer.
6. संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि वे पखनि के सीएचएसएस अनुभाग से 3 कार्य दिवसों के अंदर दवाइयां प्राप्त करें।
The employee concerned should take the responsibility of collecting the medicines within 3 working days from CHSS section of AMD without fail.
7. दिनांक 18.12.2020 से विभागीय चिकित्सा अधिकारी और एएमए के प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां निजी फार्मासिस्टों से खरीदने पर कर्मचारियों के दावों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
Claims of employees towards purchase of medicines from private Pharmacies against the prescriptions of Departmental Medical Officer and AMAs with effect from 18.12.2020 will not be processed for payment.

Nov 11/12/2020

(एन.अंजनी कुमार **N.ANJANI KUMAR**)
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी
Chief Administrative & Accounts Officer

सभी कर्मचारी – सूचना फलकों द्वारा All employees through Notice Boards /
सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी – पखनि वेबसाइट के माध्यम से All retired employees through AMD's website.
चिकित्सा अधिकारी, पखनि, हैदराबाद Medical Officer, AMD, Hyderabad
सभी वर्ग प्रमुख All Group Heads / अनुभाग प्रमुख Section Heads / प्रभारी Incharges in Headquarters—as per mailing list.

प्रतिलिपि copy to :

निदेशक, पखनि Director, AMD
अपर निदेशक Additional Director (OP-I) / (OP-II) / (R&D), AMD
डॉ. संगीता शर्मा, सीएमएस (सीएचएसएस एवं सीएचसी) Dr. D. Sangeetha Sharma, CMS (CHSS&CHC)
उप मुख्य कार्यपालक, नाईस, हैदराबाद Deputy Chief Executive, NFC, Hyderabad
मेसर्स कीर्ति मेडिकल्स M/s. Keerthi Medicals